कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

:: ई–निविदा आमंत्रण सूचना ::

क्रमांक/निर्माण/आ.वि./2026/1378 /अम्बिकापुर, दिनांक–18/06/2026

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से निम्नलिखित कार्य के लिए कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा में नीचे दर्शाये गये विवरण के अनुसार एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत **द–श्रेणी** एवं इससे ऊपर श्रेणी के ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन दर अनुसूची जो दिनांक 01.01.2015 एवं विद्युतीकरण दर अनुसूची जो दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील है, (समस्त संशोधन सहित) एस.ओ.आर. पद्धति में ई–टेडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर पर दिनांक 09.07.2026 समय 23.59 बजे तक **ऑनलाईन प्रथम निविदा आमंत्रित** की जाती है।

ऑनलाईन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	निविदा की राशि	अमानत राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)
1	2	3	4	5
193640	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय अम्बिकापुर में मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं अपग्रेडेशन कार्य	19,98,000=00	15,000=00	06 माह

निविदा की सामान्य शर्ते एवं अन्य जानकारी वेबसाईट https;//eproc.cgstate.gov.in/ में देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
अम्बिकापुर

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की सामान्य शर्ते :-

1. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को ई-प्राक्योरमेंट वेबसाईट में पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
2. लोक निर्माण विभाग में एकीकृत प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार (द श्रेणी अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के) ही निविदा में भाग ले सकेंगे।
3. निविदा राशि का न्यूनतम 15 प्रतिशत बैंक साल्वेंसी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जो 12 माह से अधिक पुराना ना हो।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा अनुबंध उपरांत किसी भी विभाग के कार्य अपूर्ण छोड़ दिये हैं उन्हें तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जावेगा।
5. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य है।
6. निविदा के लिए धरोहर राशि की वैधता 12 माह का होना चाहिए।
7. विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार/निरस्त कर सकता है।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला-सरगुजा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. प्रोपाईटर/भागीदारी फर्म एवं लिमिटेड कंपनी की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति को दिया गया पावर ऑफ अटर्नी वैध होना चाहिए।
10. आवश्यकता होने पर अनुसूची से बाहर के आयटमों का संपादन भी ठेकेदार को करना होगा। इस आयटम की दरों की स्वीकृति दर विश्लेषण के आधार पर मुख्य अभियंता, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा की जावेगी।
11. कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पेनाल्टी की राशि नियमानुसार कटौती की जावेगी।
12. नक्शा वेरिफिकेशन एवं सामग्री में परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
13. ठेकेदार द्वारा शासन के देय समस्त करों का भुगतान करना होगा।
14. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य के निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों/त्रुटियों के पुनर्निर्माण पर होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
15. निविदा की शर्ते निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट 2.10) एवं निविदा दस्तावेज (परिशिष्ट 2.13) में देखी जा सकती है।
16. **निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति अपेक्षित है ताकि वे अनर्ह होते हैं तो उसी दिन उन्हें सूचना दी जा सके और वे अनर्हता के संबंध में अपना पक्ष उसी दिन रख सकेंगे यदि वे उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके द्वारा प्रस्तुत कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।**
17. निविदा की शर्ते एवं दिनांक में कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
18. कार्य में एक्सक्लेशन एवं अग्रिम प्रदाय नहीं किया जावेगा।
19. आपके द्वारा ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं निविदा लिफाफा में जमा समस्त दस्तावेज स्पष्ट एवं पठ्नीय होना चाहिये। अस्पष्ट एवं अपठ्नीय होने की स्थिति में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा। **स0क्र0 28 एवं 29 अनुसार वांछित** दस्तावेज ऑनलाईन एवं ऑफलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।
20. निविदा में प्राप्त दर एस.ओ.आर. से कम होने की स्थिति में (10 प्रतिशत तक कम की राशि को छोड़कर) शेष अन्तर की राशि का टीडीआर जमा करना अनिवार्य होगा।
21. संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधानो का पालन करते हुये पात्रता अनुरूप ठेकेदारो को कार्यादेश के विरूद्ध क्रमशः अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन प्राप्त करना होगा।
22. निर्माण कार्य के दौरान नियोजित श्रमिको को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल एवं असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पात्रता अनुरूप श्रमिको का श्रमिक पंजीयन करना होगा।

क्रमशः...3

Scanned with OKEN Scanner

23. श्रमायुक्त, छ.ग.शासन से निर्धारित मजदूरी ही मजदूर को नियमित रूप से भुगतान करना होगा।
24. प्रस्तुत देयको में से नियमानुसार करो (एस0डी0, आई0टी0, जी0एस0टी0, रायल्टी एवं लेबर सेस) की कटौती की जावेगी। एस0डी0 राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष (वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये) पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी (निर्माण) के अनुमोदन पर किया जावेगा
25. कराये गये कार्यो का भुगतान बजट प्राप्त होने की स्थिति में किया जावेगा।
26. देयको से नियमानुसार आवश्यक कटौतियॉं की जावेगी।
27. **निविदा में चाहे गये समस्त शपथ पत्रों में सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापन की सील, रजिस्ट्रेशन नम्बर, तारीख, Notarial Ticket** एवं दो गवाह के हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
28. **ऑनलाईन अपलोड हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**

    1. पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन (आवश्यक हो तो – पॉवर ऑफ अटर्नी एवं पार्टनरसिप डीड, फर्म पंजीयन यथा संशोधित)
    2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन
    3. बैंक साल्वेंसी 15 प्रतिशत (निविदा राशि का)
    4. आईटीआर अंतिम 3 वर्ष (AY 2023-24; AY 2024-25; AY 2025-26)
    5. ईपीएफ रजिस्ट्रेशन
    6. ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन
    7. ऑनलाईन जमा ईएमडी की छायाप्रति
    8. अनुबंधित यंत्री से अनुबंध संबंधी प्रमाण–पत्र (नोटराईज्ड अनुबंध) एवं उनका सिविल की डिग्री/डिप्लोमा

29. **रजिस्ट्रर्ड/स्पीड पोस्ट से लिफाफा में जमा करने वाले दस्तावेज :–**

    1. पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन (आवश्यक हो तो –पॉवर आफ अटर्नी एवं पार्टनरसिप डीड, फर्म पंजीयन यथा संशोधित)
    2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन
    3. बैंक साल्वेंसी 15 प्रतिशत (निविदा की राशि का)
    4. आईटीआर अंतिम 3 वर्ष (AY 2023-24; AY 2024-25; AY 2025-26)
    5. ईपीएफ रजिस्ट्रेशन
    6. ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन
    7. ऑनलाईन जमा ईएमडी की छायाप्रति
    8. अनुबंधित यंत्री से अनुबंध संबंधी प्रमाण–पत्र (नोटराईज्ड अनुबंध) एवं उनका सिविल की डिग्री/डिप्लोमा
    9. 100 रूपये के (नॉन ज्युडिशियन स्टाम्प) पर Pre contract integrity pact (Annexure-H of appendix 2.10) मूल प्रति
    10. 100 रूपये (नॉन ज्युडिशियन स्टाम्प) में सत्यनिष्ठा का शपथ–पत्र मूल प्रति
    11. 100 रूपये (नॉन ज्युडिशियन स्टाम्प) में शपथ–पत्र Annexure-3 (appendix 2.10) मूल प्रति।

30. निविदा लिफाफा निर्धारित तिथि एवं समय तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) पिन 497001 जिला कार्यालय को प्राप्त होगा। नियत तिथि तक निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त नहीं होने की दशा में अपात्र घोषित किया जावेगा।
31. निविदा लिफाफा के ऊपर ऑनलाईन निविदा क्रमांक, कार्य का नाम, प्रेषक (निविदाकार का नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी) स्पष्ट रूप से अंकित करे।

क्रमशः...4

Scanned with OKEN Scanner

अ	ई–निविदा प्रारंभ तिथि	–	दिनांक 19.06.2026 समय 01.00 बजे से
ब	ई–निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 09.07.2026 समय 23.59 बजे तक
स	निविदा लिफाफा जमा करने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 13.07.2026 समय 17.30 बजे तक
द	निविदा खोलने की तिथि	–	दिनांक 15.07.2026 समय 12.00 बजे से

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
अम्बिकापुर

Scanned with OKEN Scanner